

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018—वैशाख 28, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मई 2018

शुद्धि-पत्र

क्र. 8485-139-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 267, दिनांक 9 मई 2018 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2018) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द अंक तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1) राष्ट्रीय	534 (1)	4	राष्ट्रपति
(2) विधेयक	534 (5)	4	अधिनियम
(3) Governor	534 (8)	5	President
(4) Act	534 (11)	20	section
(5) Act	534 (11)	21	section
(6) VIDHEAK	534 (11)	32	ADHINIYAM

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.